न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निमिषा गुप्ता, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/37/2018

उनवान

1. ललित पुत्र रामपाल सुवालका निवासी झालरा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा हाल जवाहर नगर, भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, जहाजपुर जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर के प्रकरण संख्या 284/2015 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.11.2017

अधिवक्तागण :—

1. श्री कुन्दन शर्मा, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 7.8.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी /वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा झालरा पटवार हल्का बैरी तहसील जहाजपुर में आराजी संख्या 131/13 रकबा 5 बीघा कृषि भूमि खातेदार शांतिलाल पिता कल्याण कलाल निवासी झालरा के नाम खातेदारी से दर्ज है। खातेदार शांतिलाल वादी के पिता के भाई होकर वादी ने काका लगते हैं। शांतिलाल जी के जीवन काल में कोई संतान नहीं होने से वादी ने अपने काका की सेवा चाकरी की एवं मृत्यु के उपरान्त भी शांतिलाल जी की अंतिम क्रिया एवं

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

परिवार की सभी रस्तें वादी ने अदा की। शांतिलाल जी ने अपने जीवनकाल में ही वादी की सेवा से प्रसन्न होकर वादग्रस्त आराजी को वादी के नाम पर वसीयत कर दी व वादी को कब्जा संभला दिया । वसीयत 100 रूपये के स्टाम्प पर दिनांक 14.8.2015 निष्पादित कर दो गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करवा दिया । शांतिलाल जी की मृत्यु दिनांक 28.8.2015 को हो चुकी है। शांतिलाल जी द्वारा लिखी वसीयत के अनुसार वादग्रस्त आराजी को वादी अपने नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने का अधिकारी है। वादग्रस्त आराजी शांतिलाल जी की स्वअर्जित होकर उन्हें वसीयत करने का पूरा अधिकार था। वादी ने उक्त वसीयत के आधार पर वादी को वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादी का वाद पत्र खारिज किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अपीलार्थी/वादी ने ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम झालरा पटवार हल्का बैरी तहसील जहाजपुर में आराजी संख्या 131/13 रकबा 5 बीघा कृषि भूमि खातेदार शांतिलाल पिता कल्याण कलाल निवासी झालरा के नाम खातेदारी से दर्ज है। खातेदार शांतिलाल वादी के पिता के भाई होकर वादी ने काका लगते हैं। शांतिलाला जी के जीवन काल में कोई संतान नहीं होने से वादी ने अपने काका की सेवा चाकरी की । शांतिलाल जी ने अपने जीवनकाल में ही वादी की सेवा से

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

प्रसन्न होकर वादग्रस्त आराजी को वादी के नाम पर वसीयत कर दी व वादी को कब्जा संभला दिया । वसीयत 100 रूपये के स्टाम्प पर दिनांक 14.8.2015 निष्पादित कर दो गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करवा दिया । शांतिलाल जी की मृत्यु दिनांक 28.8. 2015 को हो जाने पर उनका सामाजिक रिति रिवाज से क्रियाकर्म भी अपीलाण्ट ने ही कराया है। वादग्रस्त आराजी पर कब्जाकाश्त भी अपीलार्थी का ही चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र पंजीबद्ध होने के उपरान्त प्रत्यर्थी/प्रतिवादी की ओर से कोई आपत्ति नहीं की गई ।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी ने अपने वाद पत्र में अंकित कथनों की पुष्टि में अपीलाण्ट ने गवाहान के बयान लेखबद्ध भी कराये । जिससे वादग्रस्त आराजियात शांतिलाल पिता कल्याण कलाल निवासी झालरा की खातेदारी की होना एवं अपीलाण्ट/वादी द्वारा शांति लाल जी की सेवा करना एवं उनके द्वारा अपीलाण्ट/वादी के हक में वसीयतनामा निष्पादित किया जाना प्रमाणित होता है। उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट वादी का वाद खारिज करने में विधिक त्रुटि की है।

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र इस आधार पर कि उक्त वादग्रस्त आराजियात मृतक शांतिलाल पिता कल्याण कलाल निवासी झालरा की स्वअर्जित हो इस बाबत वादी द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। आवंटन से संबंधित दस्तोवज माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किये गये हैं। जो सहवन से अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की जा सकी थी। जिससे वादग्रस्त आराजी शांतिलाल पिता कल्याण कलाल निवासी झालरा को आवंटन होकर उनकी स्वअर्जित आराजियात है इस तथ्य की पुष्टि होती है। अतः अपील

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अपीलार्थी स्वीकार कर वादग्रस्त आराजियात का अपीलाथ्री/वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

7. प्रत्यर्थी की ओर से योग्य राजकीय अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

8. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानवूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थी का कथन है कि शांतिलाल वादी के पिता के भाई होकर वादी ने काका लगते हैं। शांतिलाल जी के जीवन काल में कोई संतान नहीं होने से वादी ने अपने काका की सेवा चाकरी की । सेवा चाकरी से प्रसन्न होकर शांतिलाल जी ने वादी के पक्ष में वसीयत निष्पादित की । उक्त वसीयत के आधार पर अपीलाण्ट/वादी शांतिलाल जी की खातेदारी अधिकार की वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कराने का अधिकारी है। अपीलाण्ट ने जो वसीयत प्रस्तुत की है वह मृत्यु से मात्र 14 दिन पूर्व निष्पादित कराई है। अपीलाण्ट का कथन है कि वह शांतिलाल जी की सेवा चाकरी व ईलाज वगैरा करता चला आ रहा था। इससे यह तथ्य भी प्रमाणित होता है कि शांतिलाल जी अधिक समय में बीमार रहते थे । अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में जिन गवाहों के बयान अपने कथनों के समर्थन में करवाये हैं । उन गवाह में से गवाह गवाह पी डब्ल्यू 4 सलीम पिता मदन मेरासी ने अपने बयानों में यह कथन लेख बद्ध कराया है कि मैं मृतक शांतिलाल जी के मकान में रहता था। मेरे सामने ही ललित को गोद दखा था। गवाह पी डब्ल्यू 3 पीयूष माथुर ने अपने बयानों में यह कथन लेखबद्ध कराया है कि शांतिलाल जी के औलाद नहीं होने से ललित को ही अपने बेटे के रूप में रखा । गवाह पी डब्ल्यू 2 देवकरण

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

जाट ने भी अपने बयानो में कथन किया कि शांतिलाल जी के औलाद नहीं होने से ललित को ही अपने बेटे में रूप में रखा । शांतिलाल जी के स्वर्गवास के बाद समस्त क्रियाकर्म व शांतिलाला जी के समस्त रीति रिवाज ललित ने ही किया व पगडी भी ललित के ही बांधी गई। ऐसी स्थिति में जब ललित को गोद रखा गया एवं बचपन से ही वह मृतक शांति लाल जी के पास रह रहा था तो मृत्यु से मात्र 14 दिन पूर्व वसीयत क्यों लिखी गई। जब अपीलाण्ट गोद पुत्र था तो उसके पक्ष में वसीयत लिखने का कोई औचित्य ही नहीं था। गोदपुत्र होने की स्थिति में वैसे भी मृतक के यदि कोई जायन्दा संतान नहीं हो तो गोद पुत्र ही उसकी सम्पति का उत्तराधिकारी होता है। यदि अपीलाण्ट शांतिलाल जी का गोद पुत्र रहा है तो वह इस तथ्य को सिविल न्यायालय से साबित कराने के लिए स्वतंत्र है।

9. अतः अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.11.2017 को यथावत रखा जाता है । पर्चा डिक्री मूर्तिब किया जावे।

10. निर्णय आज दिनांक 7.8.2018 को सरे इजलास सुनाया गया ।

7/8/18

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता ,आर ए एस

अपील संख्या आर टी ए/37/2018

उनवान

1. ललित पुत्र रामपाल सुवालका निवासी झालरा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा हाल जवाहर नगर, भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, जहाजपुर जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर के प्रकरण संख्या 284/2015 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.11.2017

अधिवक्तागण :–

अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए/37/2018** मे **उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डि्क्री जारी की जाती हैं:–

यह अपील तारीख 7.8.2018 को अपीलाण्ट की ओर से श्री कुन्दन शर्मा वकील एवं प्रत्यर्थी श्री ओम प्रकाश सोनी की उपस्थिति मे दिनांक 7.8.2018 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि:–

अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.11.2017 को यथावत रखा जाता है । ”

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 7.8.2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डि्क्री जारी की जाती है।

7/8/18

(निमिषा गुप्ता)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट

1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट

1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस